न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 153/2020 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00153)

1. विदरू पुत्र शिवलाल
2. मुखराम पुत्र गोपीराम
3. ज्ञानी पुत्र सरूप
4. हरभान पुत्र रामजीलाल

जाति गूजर निवासी ग्राम बरनोल तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर।
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विलोंद तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आरक्षण आदेश दिनांक 23.2.2008 द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर पत्रावली कमांक/राजस्व/12/12 (113)/07/40

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्ट।

नि र्ण य

दिनांकः– 04.04.2023

उक्त अपील जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा जारी किये गये भूमि आवंटन आदेश कमांक राजस्व/12/12 (113)/07/40 दिनांक 23.2.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.14 (1) राज.6/05 पार्ट 16 दिनांक 18.4.2007 के अनुसरण में उपखण्डाधिकारी कामां के प्रस्तावानुसार ग्राम बरनौल ग्राम पंचायत तहसील कामां स्थित खसरा नम्बर 100 रकबा 2.70 है0 किस्म बंजड कदीम भूमि में से 1.60 है0 भूमि की किस्म खारिज करते हुये राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अंतर्गत वर्णित शर्तों पर उक्त भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय विलोंद तहसील कामां को विधालय भवन निर्माण एवं खेल मैदान हेतु (शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार) को निशुल्क आवंटित की गई है। अपीलान्ट का कथन है कि खसरा नम्बर 100/16–14 वाकै ग्राम बरनोल तहसील कामां की यह भूमि उसके पूर्वजों की मिलकीयत व खुदकाश्त खातेदारी में रही है इसलिऐ जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.2.2008 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को

4.4.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जारी समन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में मीमो ऑफ अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क दिया कि तहत अदालत का आदेश दिनांक 23.02.2009 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि जिस भूमि का रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा आवंटन किया गया है वह भूमि अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि रही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 100/16-14 वाकै ग्राम बरनोल तहसील कामां जिला भरतपुर अन्य आराजी के साथ अपीलान्ट के पूर्वज शिवलाल सदरी व सुन्दर पुत्रान मंगल की मिलकीयत व खुदकाश्त में रही है। इस संबंध में जमाबन्दी सम्वत् 2013 से 2016 में खाता संख्या 1 व खेवट संख्या 1 पर उक्त आश्य के इन्द्राज भी अंकित रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने व राज0 जमीदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभाव में आने के समय यानि सम्वत 2012 व सम्वत 2016 दोनों ही समय यह आराजी अपीलान्ट के उक्त पूर्वजों की खेवट व खुदकाश्त में होने के कारण आराजी पर अन्य आराजी के साथ उन्हें खातेदार अधिकार (मालिक काश्तकार) प्राप्त हो गए थे। जिन्हें अपीलान्ट ने उनसे उनके मरणोपरान्त उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। इस प्रकार विवादित आराजी उक्त आवंटन के दिन अपीलान्ट व उसके पूर्वजों की खातेदारी में एवं कब्जे काश्त में रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार की भूमि को उत्तरवादी संख्या 2 को आवंटन किये जाने का आदेश देने में भारी त्रुटी की है। कथित आवंटन के विवादित भूमि कभी खाली नहीं रही है। बल्कि अपीलान्ट व उनके पूर्वजों द्वारा अधिभृहित रही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना बेदखल किये, बिना सुने और बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ प्राधिकारी ने नियमों की कोई पालना नहीं की है न तो कोई नोटिस उजदारी जारी किए गए हैं और न ही मौके की पटवारी/गिरदावर से वास्तविक कब्जे काश्त होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। वरन अपने स्तर पर ही एकतरफा में कागजी कार्यवाही करते हुये खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। उक्त आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व न तो कोई उदघोषणा जारी की गई और न ही नोटिस इश्तहारीआम का कथित आवंटन/आरक्षण के संबंध में आम सूचना हेतु जारी किए गए। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश सामान्य न्याय प्रकिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित खसरा नम्बर के अलावा खाते में अंकित आराजी पर अपीलान्ट के पूर्वजों को धारा 5(4) व 29(2) राज0 जमीदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है केवल इसी नम्बर को राजस्व कर्मचारियों की गलती से बंजर शिवायचक

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दर्ज कर दिया है। जिसकी वजह से यह आवंटन आदेश गलत जारी हुआ है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया है और उनसे खातेदारी की आराजी को उत्तरवादी संख्या 2 को नाजायज रूप से आवंटित कर दिया है। इसके बने रहने से अपीलान्ट के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। इसलिऐ अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से परिवेदित है। अपीलान्ट की ओर से उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील पेश किए जाने की अनुमति हेतु सी पी सी की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र भी अदालत हाजा में पेश किया गया है। अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही थी। दिनांक 10.9.2017 को इस संबध में पटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर अपीलान्ट ने इस मामले की जांच करायी है और जांच होने पर दिनांक 11.9.2017 को खण्डनाधीन आदेश की नकल लेने हेतु अधीनस्थ प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया जिस पर दिनांक 14.9.2017 को नकल आदेश तहत मिली है और आदेश तहत की वास्तविक जानकारी हुई है जानकारी होने के दिन से यह अपील अपीलान्ट द्वारा बिना किसी देरी के अन्दर अवधि पेश की जा रही है। धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 23.2.2008 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगु ण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निस्तारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ मियाद को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 10.09.2017 को होने व उक्त आदेश की नकल दिनांक 14.09.2017 को प्राप्त होने पर अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रार्थना पत्र का रैस्पों0 की ओर से न तो कोई जबाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पेश किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व में रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। मियाद संबंधी बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी निम्न नजीरों में मियाद के बिन्दु के संबंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिये

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तथा तकनीकी आधार पर अपील खारिज नहीं की जानी चाहिये। जो कि निम्नानुसार है।

आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार आर0वी0जे0 (4) 1997 पेज 257, पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal"

अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पर में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 08.11.2007 के आधार पर पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी कामां ने अपने पत्र के साथ जमावन्दी नकल, खसरा नकल, नक्शा ट्रेस नकल मय तरमीम, पटवारी रिपोर्ट, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संलग्न कर प्रेपित किया है। पत्र के साथ संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.09.2007 में यह उल्लेख किया गया है कि जमावन्दी सवत 2058–61 के खाता संख्या 1 में खसरा नंबर 100 रकबा 2.70 किस्म बंजर कदीम अंकित है। इसमें से 16 एयर भूमि पर्यटन विभाग को आवंटित की गई है। शेष रकबा 2.54 हैक्टेयर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09.01.2007 को प्रस्ताव पारित किया गया है। स्कूल फील्ड हेतु उक्त भूमि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 19.09.2000 के द्वारा आरक्षित है। वर्तमान में रकबा मौके पर खाली है तथा कहीं कोई विवाद किसी न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में जैरकार नहीं है। इस मौका रिपोर्ट की पुष्टि तहसीदार कामां व उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा की गई है तथा आवंटन प्रस्ताव के साथ चैकलिस्ट ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न की गई है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.14 (1) राज.

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

5.5.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

6/05/पार्ट 16 दिनांक 18.04.2007 के अनुसरण में ग्राम बरनोल के खसरा नंबर 100 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से 1.60 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत वर्णित शर्तों पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विलौंद को विद्यालय भवन निर्माण एवं खेल मैदान हेतु (शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार) को निःशुल्क आवंटित की गई है। इससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा विवादित भूमि जब रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में आवंटित की गई थी। उस समय किस्म सिवायचक बंजर दर्ज थी तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किए जाने का नोट जमाबन्दी में अंकित था। इस भूमि में से ही जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में विद्यालय व खेल मैदान हेतु भूमि आवंटित की गई है। जिसको आवंटित किए जाने का जिला कलक्टर को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2008 में किसी तरह की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त प्रस्ताव, चैकलिस्ट व ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क कि विवादित भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व राज0 जमीदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभाव में आने के समय यानि सम्वत् 2012 व सम्वत् 2016 के समय अपीलान्ट के पूर्वजों के खेवट तथा खुद काश्त में दर्ज होने के कारण उक्त आराजी पर अन्य आराजी के साथ–साथ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। जो कि पूर्वजों की मरणोपरांत उत्तराधिकार में अपीलान्ट को प्राप्त हो गये हैं। इसी प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिये जाने के कारण उक्त भूमि गलत रूप से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी है। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से इस तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वक्त आवंटन विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जेकाश्त अथवा खातेदारी में रही हो। दूसरी ओर मीमो आफ अपील के साथ जो रिकार्ड संलग्न किया गया है उसमें विवादित भूमि जिसके संबंध में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया है। इस भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 व 2025–2029 में इस आशय का नोट अंकित किया हुआ है कि जमीदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के मुताबिक 15.11.1959 से जमींदारी समाप्त की गयी है। अतः वकील अपीलान्ट का यह तर्क सारहीन हो जाता है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। इसी प्रकार अपीलान्ट के पूर्वजों की खुदकाश्त में दर्ज अन्य भूमि के खातेदारी में दर्ज होने तथा विवादित भूमि के खातेदारी में दर्ज नहीं किये जाने का जहां तक प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलान्ट नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा राज्य सरकार द्वारा

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

5.5.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जारी अधिसूचना दिनांक 18.04.2007 के अनुसरण में राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत वर्णित शर्तों पर खसरा नंबर 100 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से 1.60 हैक्टेयर भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विलौंद को विद्यालय भवन निर्माण व खेल मैदान हेतु निःशुल्क आवंटित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2008 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 04.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
(सांवरमल वर्मा), भरतपुर
संभागीय आयुक्त
भरतपुर